झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004

अधिसूचना संख्या– 7/झा.स.प.–17–014/2003 का 3639 अपात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने पर रोक लगाने के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जन जातीय विकास परिषद एस.एल.पी. (सिविल) सं.–1476703/93 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नरूपेण छान–बीन समिति (Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है :–

1.	आयुक्त एवं सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग या कल्याण विभाग, जो वरीय हो।	अध्यक्ष
2.	आदिवासी कल्याण आयुक्त जो सम्प्रति अनुसूचित जाति का भी कार्य देखते हैं।	सदस्य सचिव
3.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन जाति में विशेषज्ञता रखने वाले श्री करमा उरांव प्रमुख मानव विज्ञान शास्त्र, रांची विश्वविद्यालय, रांची।	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जन जाति सहकारिता विकास निगम।	सदस्य

समिति का कार्यक्षेत्र

1. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जाति और उस जाति के लिये अधिसूचित स्थान के बारे में ऐसा प्रश्न निहित है, जिसका विनिश्चय उच्च स्तर पर किया जाना हो और जो उनके द्वारा उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किये गये हों।

2. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण–पत्र आवेदन निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो।

3. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी ने यह पाया हो कि आवेदक के द्वारा असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार अथवा फर्जी तरीके से अनुसूंचित जाति/जन जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है, एवं

4. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें यह शिकायत की गई हो कि असत्य या गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर ली गई है जिसके लिये वास्तव में पात्रता न थी।

5. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु (पहुंचने) के बाद दत्तक पुत्र/पुत्री बनाने की कार्यवाही के आधार पर प्रमाण पत्र चाह रहा /रही हो।

6. यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिनमें विशिष्ट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये चाहे गये प्रमाण–पत्र के संबंध में यह विनिश्चय किया जाना हो कि कोई जाति/उप जाति संविधान आदेश, 1950 के अधीन अनुसूचित जाति/जन जाति मानी जाय अथवा नहीं, ऐसी जाति अनुसूचित क्षेत्र के विनिर्दिष्ट है।

7. **समिति की बैठक** :

क). समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

ख) बैठक की तिथि एवं स्थान/समय का निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति से की जाएगी, जिससे सदस्य सचिव सभी सदस्यों को सूचित करेंगे।

6/7/04

(स्वर्णादित्य सहाय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630 **/ रांची, दिनांक** 8 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय।

6/7/04

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630 **/ रांची, दिनांक** 8 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि :– सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/04

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630 **/ रांची, दिनांक** 8 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि :– सदस्य अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जन जाति आयोग, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके अर्धसरकारी पत्रांक – SAST/SKK/JHARKHAND दिनांक 11.11.2003 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

6/7/04

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630 **/ रांची, दिनांक** 8 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि :– सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी बैंक शाखाओं को दी जाय।

6/7/04

सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट – एक

छानबीन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया

छानबीन समिति, जांच का कार्य पुलिस अधिकारी के माध्यम से करायेगी। जांच अधिकारी मौके पर जाकर विस्तृत जांच प्रतिवेदन छानबीन समिति को निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा।

2. छानबीन समिति, यदि सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाती है, कि आवेदक का सामाजिक स्तर का दावा सही नहीं है या संदेहास्पद है या गलत रूप से दावा प्रस्तुत कर रहा है, तब समिति ऐसे आवेदक को सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट की प्रति के साथ पंजीकृत डाक से रसीद सहित, कारण बताओ सूचना/पत्र शैक्षणिक संस्था या कार्यालय प्रमुख के माध्यम से भेजेंगे। कारण बताओ सूचना पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदक अपना अभ्यावेदन या उत्तर कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संचालक को प्रस्तुत करें और किसी भी परिस्थिति में अभ्यावेदन अथवा उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 30 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा। यदि आवेदक उसे सुनने का और बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर चाहता है तो ऐसा आवेदन या उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् समिति की बैठक संचालक बुलायेंगे और आयुक्त सह सचिव, ऐसी समिति के अध्यक्ष के रूप में आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देंगे। समिति प्रकरण में निर्णय के लिये आम सूचना जारी करेगी, जिसका प्रचार–प्रसार गांव में या मोहल्ले में डौडी या अन्य सुविधाजनक साधनों से किया जायेगा। ताकि यदि कोई व्यक्ति या संघ आवेदक के दावे का विरोध करना चाहे तो वे कर सकें। आवेदक को ऐसा अवसर देने के बाद भी आवेदक को उसके अभिभावक के माध्यम से या अन्य अवसर देने के बाद समिति ऐसी जांच कर सकेगी, जिससे आवेदक के दावे और अन्य आपत्तियों पर विचार करने पर शीघ्र निर्णय लेने के लिये आवश्यक हो। अभय पक्षों को सुनकर समिति एक उचित आदेश पारित करेगी जिसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये संक्षिप्त तर्कों अथवा तथ्यों का विवरण दिया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरणों जहां सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में हो, समिति को किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

4. यदि उम्मीदवार अव्यस्क हो तो उसके माता–पिता/अभिभावकों को भी सूचना पत्र जारी किया जायेगा ताकि उसके माता–पिता/अभिभावक अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकें।

5. समिति द्वारा जांच दिन प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी और किसी भी स्थिति में इसे पूर्ण करने के लिये 2 माह से ज्यादा समय नहीं लेगी। यदि जांच समिति यह पाती है कि आवेदक का दावा झूठा या असत्य है तो समिति ऐसी जाति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने या राजसात करने के लिये आदेश पारित करेगी। इस जांच के निष्कर्षों से उम्मीदवार या उसके माता–पिता/अभिभावकों को एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

6. छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

(स्वर्णादित्य सहाय)
सरकार के उप सचिव।